न्यायालय– जिलाधिकारी, सहरसा।

अधिग्रहण वाद संख्या–01/2017 राज्य बनाम दुःखो ताँती

आदेश

30.8.18

प्रस्तुत अधिग्रहण वाद अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर के पत्रांक–1973, दिनांक–31.12.2016 से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर प्रारंभ किया गया हैं।

आरोप हैं कि दिनांक–25.07.2016 को ग्राम–कासीमपुर में दुःखों ताँती, पिता– स्व० पाँचो ताँती के निर्माणाधीन मकान में अज्ञात महिला द्वारा रखा हुआ प्लास्टिक के 10 बोरी एवं जूट की की चार बोरी कुल 14 बोरी में 05.43 (पाँच क्वींटल, तैंतालीस किलो) चावल जब्त किया गया, जिसके विरूद्ध सलखुआ थाना में प्राथमिकी संख्या–155/16, दिनांक–26.07.2016 दर्ज करायी गयी हैं। जप्त चावल को पंचायत सरबेला के जन वितरण प्रणाली बिक्रेता मो० वसी, अनुज्ञप्ति संख्या–153/08 को जिम्मेनामा पर रखा गया हैं।

इस कार्यालय पत्रांक–277–2/सपत्र, दिनांक–17.02.2017 द्वारा श्री दुःखो ताँती, पिता–स्व0 पाँचो ताँती के नाम नोटिस तामिला हेतु अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को भेजा गया। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा प्रोसेस सर्भर के माध्यम से दिनांक–26.02.2017 को श्री दुःखो ताँती पर नोटिस का तामिला कराकर तामिला प्रतिवेदन वापस किया गया। नोटिस का तामिला अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर से प्राप्त हुआ।

प्रतिपक्षी द्वारा नोटिश प्राप्ति उपरान्त लगातार दिनांक–28.01.2017, 04.02.2017, 11.02.2017, 17.02.2017, 24.02.2017, 11.03.2017, 15.04.2017, 06.05.2017, 03.06.2017 अनुपस्थित रहें।

राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक को सुना। अभिलेख तथा इसके साथ संलग्न कागजातों का अवलोकन किया।

लम्बे अन्तराल व्यतीत हो जाने पर भी प्रतिपक्षी की ओर से न तो कोई कारण–पृच्छा दाखिल किया गया और न ही कभी न्यायालय में उपस्थिति दी गयी।

अतः अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर से प्राप्त अधिग्रहण प्रस्ताव को स्वीकृत करते हुए जप्त खाद्यान्न को अधिग्रहित किया गया है। अनुमण्डल पदाधिकारी, सिमरीबख्तियारपुर को निदेशित किया जाता है कि अधिग्रहित चावल जन वितरण प्रणाली दूकान के माध्यम से ए०पी०एल० दर पर बिक्री करवाकर राशि कोषागार में उचित शीर्ष अन्तर्गत जमा करवाना सुनिश्चित करें। इस निदेश के साथ वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं शुद्धिकृत।

30.8.18 — समाहर्त्ता, सहरसा।

30.8.18 — समाहर्त्ता, सहरसा।

ज्ञापांक 1507-2/विधि, सहरसा, दिनांक 26-09-2017

प्रतिलिपि :– अनुमंडल पदाधिकारी, सिमरी बख्तियारपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– जिला सूचना–विज्ञान अधिकारी, एन०आई०सी०, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिला के वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
26.09.017 जिला विधि शाखा, सहरसा।